



कार्यालय वन मण्डलाधिकारी

गरियाबन्द वन मण्डल – गरियाबन्द, जिला – गरियाबन्द (छ.ग.)

Phone No. (office)- 07706 296350

E-mail- dfogariaband@gmail.com

क्रमांक/मा.चि./एफ.सी.ए./2022-23/100

गरियाबंद, दिनांक 09/11/2022

प्रति,

परियोजना प्रबंधक (ए.डी.बी.प्रोजेक्ट)
छ.ग. राज्य सड़क क्षेत्र परियोजना रायपुर
संभाग रायपुर (छ.ग.)

विषय :- Diversion of forest Land non-forest Purpose undeer Forest Conservation Act, 1980 Proposed for Rehabilitation and Upgrading of Panduka, Jatmai, Ghatarani, Gaydabri, Madeli, Mudagaon Road (Two Lane Public Road) Area - 24.569 ha.
पंजीयन क्रमांक – FP/CG/ROAD/35248/2018। राशि जमा के संबंध में।

संदर्भ :-

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय नवा रायपुर का पत्र क्रमांक/FC-II/IRCH-11/2022/965 दिनांक 12/10/2022
2. अ.प्र.मु.व.सं.(भू-प्रबंध/व.स.अ.)छत्तीसगढ़ नवा रायपुर का पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध/115-748/2391 रायपुर, दिनांक 17/10/2022
3. मुख्य वन संरक्षक रायपुर वृत्त रायपुर (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/तक.शा./एफ.सी.ए./11578 रायपुर दिनांक 07/11/2022
4. इस कार्यालय का पत्र क्र.मा.चि./एफ.सी.ए./2022-23/4892 दिनांक 29/11/2022
5. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.स.अ.) छत्तीसगढ़ का पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध/115-748/2978 रायपुर दिनांक 21/12/2022

---000---

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र क्रमांक-04 के द्वारा मॉग राशि जारी किया गया था, परीक्षण उपरांत संदर्भित पत्र क्रमांक-05 के द्वारा पुनरीक्षित मॉग राशि प्रेषित करने का निर्देश है। पुनरीक्षित मॉग राशि विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	कार्य का विवरण	शुद्ध प्रत्याशा मूल्य एवं सी.ए.हेतु प्रस्तावित रकबा व्यपवर्तन प्रस्ताव का रकबा (हे.)	प्रति हे./ कि.मी. दर (रु.में)	मॉग राशि (रु.में)	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
1	शुद्ध प्रत्याशा मूल्य	24.569	1228590	30185228	शुद्ध प्रत्याशा मूल्य (NPV) गणना पत्रक संलग्न।
2	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण	24.600	Rate -878787 Rate- 978049	22025135	स्थल – पिटईबंध 12.000 हे., दर – 878787, टेका – 8.500 हे., दर – 878787, अरण्ड – 4.100 हे., दर – 978049 स्थल-अरण्ड में स्थल उपयुक्तता दर में वृद्धि विवरण संलग्न। ANNEXURE-I

3	सड़क किनारे वृक्षारोपण	—	Km -17.55 Rate -2074684	36410704	अ.प्र.मु.व.सं. (विकास/योजना) छ.ग. रायपुर अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 दर राशि 1288215 प्रति कि.मी. पौधा संख्या-1000 वर्षवार 10 प्रतिशत दर में वृद्धि के आधार पर वित्तीय वर्ष 2022-23 में दर राशि 2074684 प्रति कि.मी.। नार्म्स संलग्न। ANNEXURE-II
---	------------------------------	---	----------------------------	----------	---

अतः शुद्ध प्रत्याशा मूल्य की राशि रुपये— 30185228, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण राशि रुपये—22025135 अर्थात् कुल राशि रुपये — 52210363 (अक्षरी :- पाँच करोड़ बाईस लाख दस हजार तीन सौ तिरसठ रुपये मात्र।) ई-चालान के माध्यम से कैम्पा खाता में जमा करें। सड़क किनारे वृक्षारोपण की राशि रुपये — 36410704 (अक्षरी :- तीन करोड़ चौसठ लाख दस हजार सात सौ चार रुपये मात्र।) वनमण्डलाधिकारी गरियाबंद के पक्ष में डिमाण्ड ड्राफ्ट (डी.डी.) जारी करें।

“ वर्तमान में किसी भी प्रकार की वनभूमि में कार्य प्रारंभ करने की अनुमति नहीं है। ”

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

पृ.क्रमांक/मा.चि./एफ.सी.ए./2022-23/101
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अ.प्र.मु.व.सं.(भू-प्रबंध/व.स.अ.)छत्तीसगढ़ नवा रायपुर। का पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध/115-748/2978 रायपुर दिनांक 21/12/2022
2. मुख्य वन संरक्षक रायपुर वृत्त रायपुर (छ.ग.)। पत्र क्रमांक/तक.शा./एफ.सी.ए./11578 रायपुर दिनांक 07/11/2022 के संदर्भ में।


वनमण्डलाधिकारी
गरियाबंद वनमण्डल, गरियाबंद
गरियाबंद, दिनांक 09/11/2022


वनमण्डलाधिकारी
गरियाबंद वनमण्डल, गरियाबंद

वन संरक्षण अधिनियम अन्तर्गत प्रत्याशा मूल्य (NPV) की राशि का गणना पत्रक

प्रकरण का पंजीयन क्रमांक :- FP/CG/ROAD/35248/2018

प्रकरण का नाम :- पाण्डुका-जलतगई-घटाराजी-गायडबरी-मडेली-मुझगाँव मार्ग चौड़ीकरण

कुल आवेदित वन भूमि :- 24.569 हे०

वन भूमि का विवरण :-

आरक्षित वन कक्ष क्रमांक - 119,118,114,116,
115,109,90.

वन वृत्त :- रायपुर वृत्त रायपुर

वनमंडल :- गरियाबंद वनमंडल गरियाबंद

कोडिनेट :-

Latitude

Longitude

Starting piont

N20°48'21.05" E82°00'04.39"

Middle piont

N20°47'29.99" E82°03'50.23"

End piont

N20°48'40.32" E82°08'11.09"

संरक्षित वन कक्ष क्रमांक - 76,117,113,111, 94
नारंगी वन क्षेत्र कक्ष क्रमांक - -

राजस्व वन क्षेत्र खसरा क्रमांक-745,725,746,724,
722,710,709,547,548,550,552,829,831,833,834,83
5,86,245,104,1752,1781,2,12,234,426,448,454,468
आवेदक संस्था :- परियोजना प्रबंधक (ए.जी.बी.
प्रोजेक्ट) 860710 राज्य सड़क क्षेत्र परियोजना रायपुर

भूमि का प्रकार	वनों का प्रकार (वैश्वियन एवं सेठ वर्गीकरण के अनुसार)	कुल क्षेत्र (हे.)	नियत ईको क्लास (Eco Class) विभिन्न घनत्व श्रेणी अन्तर्गत क्षेत्रफल										कुल क्षेत्र ईको क्लास (हे.) (4+7+10)	कुल प्रत्याशा मूल्य वसूली (रु.) (6+9+12)
			बहुल सघन वन (हे.)	प्रत्याशा मूल्य की दर (रु.)	प्रत्याशा मूल्य (रु.)	सघन वन (हे.)	प्रत्याशा मूल्य की दर (रु.)	प्रत्याशा मूल्य (रु.))	खुला वन (हे.)	प्रत्याशा मूल्य की दर (रु.)	प्रत्याशा मूल्य (रु.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Reserve Forest (आरक्षित वन)		9.603				9.603	1228590.00					9.603	11798149.77	
Protected Forest (संरक्षित वन)		9.788				9.788	1228590.00					9.788	12025438.92	
Undemarcated Forest/ Orange Area (नारंगी क्षेत्र)	Taopical Dry Deciduous Forest Eco class-III	0.000				—	—					0.000	0.00	
Revenue Forest Land (राजस्व वन क्षेत्र)		5.178				5.178	1228590.00					5.178	6361639.02	
कुल (अ)		24.569				24.569						24.569	30185227.71	

कुल प्रत्याशा मूल्य की देय राशि (समस्त कार्यों हेतु) रु. 30185228.00
अक्षरी :- तीन करोड़ एक लाख पचासी हजार दो सौ अट्ठाईस रुपये मात्र)

प्रमाणित किया जाता है, कि ऊपर दर्शित ईको क्लास, वनों
का घनत्व एवं प्रत्याशा मूल्य की गणना सही है।

भरे द्वारा पुनः जांचा गया एवं ऊपर दर्शित ईको क्लास, वनों का
घनत्व एवं प्रत्याशा मूल्य की गणना सही है।

तैयार किया गया (नाम)
वरिष्ठ तकनीकी सहायक
मानचित्रकार
वनमंडल
सील

जांचा गया (नाम)
संलग्न अधिकारी / उप वनमंडलाधिकारी
संयुक्त वनमंडलाधिकारी राशिजम
वनमंडल गरियाबंद

सत्यापित किया
वनमंडलाधिकारी
गरियाबंद वीथ मंडल गरियाबंद

पुनः सत्यापित किया
वन संरक्षक
वन वृत्त का नाम

टीप:- कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़ अरण्य भवन, रायपुर के पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/ विविध/ 115-25/ 814 रायपुर दिनांक 07/04/2022 के द्वारा सिंचित वृक्षारोपण के लिए पुनरीक्षित राशि 878787/-रु. प्रति हेक्ट. दर स्वीकृत है किन्तु उक्त परियोजना में नीचे दर्शित कारणों के कारण प्रति हेक्टेयर व्यय 978049/- रु. होने की संभावना है। इस प्रकार प्रति हेक्टेयर व्यय में 99262/- अधिक प्रस्तावित है। विवरण निम्नानुसार है :-

- (1) वृक्षारोपण 02 सेक्टर में विभाजीत है जिसके फलस्वरूप फेंसिंग की लम्बाई में वृद्धि हुआ है एवं फेंसिंग कार्य में प्रति हेक्टेयर निर्धारित राशि से अतिरिक्त व्यय हो रहा है।
- (2) प्रति 5 हेक्टेयर में 1 सुरक्षा श्रमिक निर्धारित है किन्तु स्थल का रकबा 4.100 हे. होने के कारण यथावत 5 हेक्टेयर की राशि प्रस्तावित है जिसके फलस्वरूप प्रति हेक्टेयर निर्धारित राशि से अतिरिक्त व्यय हो रहा है।
- (3) प्रति 5 हेक्टेयर में 1 बोर एवं सोलर पंप निर्धारित है किन्तु स्थल का रकबा 4.100 हे. होने के कारण यथावत 5 हेक्टेयर की राशि प्रस्तावित है जिसके फलस्वरूप प्रति हेक्टेयर निर्धारित राशि से अतिरिक्त व्यय हो रहा है।


वनमण्डलाधिकारी

 गरियाबंद वनमण्डल, गरियाबंद

प्राक्कलन सड़क किनारे वृक्षारोपण

लम्बाई - 1 किलोमीटर (सड़क के दोनों ओर) में वृक्षारोपण का प्राक्कलन
आर.सी.सी. पोल्स के माध्यम से बारबेड वॉयर फेंसिंग सहित

अंतराल - 4 x 4 मीटर
कंसिग - सीमेंट पोल्स (आर फेंसिंग)

लंबाई (किमी) 1.0
पीछे की संख्या 1000 प्रति कि.मी.

वर्ष 2017-18

प्रथम तर्ष

(1 कि. मी. सड़क के दोनों किनारे)

क्र.	विवरण	मात्रा	दर	अधिकतम व्यय (रु.)
1	2	3	4	5
1	रोपण स्थल का सर्वेक्षण एवं स्वीकार्यता कार्य, उपचार मागनेन एवं प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना	1.00 कि.मी	L.S.	275.00
2	1.8 मीटर लंबे आर.सी.सी. पोल्स की माध्यम से 7 से 9 बारबेड वॉयर फेंसिंग जिसमें आर.सी.सी. पोल्स को 30 x 30 से मी. आकार के 45 से मी. गहरे गड्ढे खोदकर सीमेंट पोल्स को 1.36 के अनुपात में कागजित के माध्यम से फिक्स करना तथा 5 से 6 क्षैतिज लंबाई में एवं 2 से 3 में आधोमध्य लंबाई में 14x14 गेज के बारबेड वॉयर को फिक्स करना। क्षैतिज लंबाई में बारबेड वॉयर की प्रथम लाईन जमीन की सतह से 9 इंच की ऊँचाई पर, द्वितीय लाईन प्रथम से 9 इंच की ऊँचाई पर, तृतीय लाईन द्वितीय लाईन से 12 इंच की ऊँचाई पर तथा चतुर्थ लाईन तृतीय लाईन से 12 इंच की ऊँचाई पर एवं प्रथम लाईन चतुर्थ लाईन से 12 इंच की ऊँचाई पर लगाई जाये।	4040 रॉनिंग मीटर	193.33 रु. प्रति र.मी. (परिशिष्ट-एक के अनुसार)	781053.20
3	क्षेत्र संस्कार कार्य एवं मृदा परीक्षण कार्य	1 किमी	L.S.	2310.00
4	बोझ लगाने हेतु गड्ढों की स्टाफिंग का कार्य 4 मी. x 4 मी. अंतराल स्टैण्डर्ड विन्यास में = $[1 \text{ Km} = 1000 \text{ mtr. (L)} \times 10 \text{ mtr. (W)} = 10000 \text{ sqmtr.} / (4 \times 4) = 500$ (समम) नग x 2 Side = 1000 नग (वर्षा जल जमाव वाले भाग में आवश्यकतानुसार मिट्टी के माउंट बनाए जाएं) (4 मा.दि. प्रति हजार)	1000 नग	4.00 मा.दि.	1200.00
5	गड्ढों की खुदाई गहराई 45 x 45 x 45 से.मी. साइज कड़ी मिट्टी व प्रति किलोमीटर $[1 \text{ Km} = 1000 \text{ mtr. (L)} \times 10 \text{ mtr. (W)} = 10000 \text{ sqmtr.} / (4 \times 4) = 500$ (समम) नग x 2 Side = 1000 नग (6 मा.दि. प्रति सैकड़ा)	1000 नग	60.00 मा.दि.	18000.00
6	सामग्री व्यय 1000 पीछे + 10 प्रतिशत अतिरिक्त = 1100 पीछे हेतु 25 x 30 सेमी साइज (पोलीथीन बैग, पीछे की लंबाई 1 वर्ष, ऊंचाई न्यूनतम 3 पीछे) (9.1 मा.दि. प्रति सैकड़ा का 65 प्रतिशत)	1100 नग	65.00 मा.दि.	19500.00
7	2 पोलीथीन बैग की किमत 25 x 30 सेमी साइज	14.66 14.66	175 रु. प्रति कि.ग्राम	2566.00
8	अन्य आकस्मिक व्यय	L.S.	L.S.	5486.40
			योग :-	830390.60

द्वितीय वर्ष

(1 कि. मी. सड़क के दोनों किनारे)

1	50 प्रतिशत गड़दा में मिट्टी का परचहन साहल (1/4 गांव में) 0.45 x 0.45 0.45 0.45 0.091125 50' x (1/4) 0.023 500 11.391 घनमीटर			4537.00
2	गड्ढे खाद / चूने का परचहन साहल 1 कि.मी. प्रति गांव परचहन साहल	1000.00 कि.मी.		9735.00
3	गड्ढे में मिट्टी / खाद डलवाने का निश्रण करना	1000 गड्ढे		2662.00
4	खाद परचहन कार्य	1100 पीछा		6650.00
5	चूने का परचहन कार्य 250 एन.एम. एन.एम.	250 ग्राम प्रति पीछा 250 कि.मी.	8 रु. प्रति कि.मी.	2000.00
	(2) पीछा करवा कर 250 ग्राम प्रति पीछा 1000 गड्ढे प्रति कि.मी. साहल के दोनों तरफ हेतु = 250 कि.मी.	250 कि.मी.	20.00 रु. प्रति कि.मी.	5000.00
	साहल हल का निर्माण, उमर, अरण्य, नागपनी, कटून, कटोना आदि का परचहन के किनारे से साहल में रोपण	4000 रनिंग मीटर	50.50 गा.दि.	13150.00
7	मसरो कार्य अ. प्रथम वर्ष रोपण हेतु पीछे की मसरो कार्य उमर 3 फीट (9.1 गा.दि. प्रति सैकड़ा का 35 प्रतिशत)	1100 मस	35.00 गा.दि.	10500.00
	ब. द्वितीय वर्ष में केजुअल्टी पीछे की मसरो कार्य उमर 3 फीट (9.1 गा.दि. प्रति सैकड़ा का 65 प्रतिशत)	100 मस	5.90 गा.दि.	1770.00
8	प्रतिशत वर्ष की रोपण	1.33 कि.मी.	175 प्रति कि.मी.	235.00
9	खाद रोपण कार्य	1000 पीछा	26.00 गा.दि.	7800.00
10	प्रथम निदाई / गुड़ाई / भुत पीछे का प्रतिस्थापन / कोटनासक एवं जलिक / सारासिक खाद खानन साहल (1.3 गा.दि. प्रति सैकड़ा)	1000 पीछा	13.00 गा.दि.	3900.00
11	द्वितीय निदाई गुड़ाई कार्य (3 गा.दि. प्रति सैकड़ा)	1000 पीछा	30.00 गा.दि.	9000.00
12	तृतीय निदाई गुड़ाई कार्य (माह फरवरी में / हराम खाला भी बनाया जायगा) (1.3 गा.दि. प्रति सैकड़ा)	1000 पीछा	13.00 गा.दि.	3900.00
13	जलिक खाद का कार्य (निदाई के समय उपयोग के लिए)	1000 पीछा	L.S.	8580.00
14	सुरक्षा युलाई से गांव तक (9 माह तक) महिला एवं सहायता समितियों की प्रत्यक्षता (1 कि.मी. पर एक सीडीदार)	L.S.	L.S.	54054.00
15	पानी सिंचाई कार्य 03 माह	L.S.	L.S.	26022.00
16	अन्य आवश्यक कार्य - बांध लगाया, गेट लगाया, अग्नि सुरक्षा, फेंसिंग करना, मूल्यवान एवं अनुभवजन्य इत्यादि	L.S.	L.S.	6641.30
योग :-				177536.30

तृतीय वर्ष

(1 कि. मी. सड़क के दोनों किनारे)

क्र.	विवरण	मात्रा	दर	अधिकतम व्यय (रु.)
1	2	3	4	5
1	पीछा परचहन कार्य, नगरी में पीछा रोपण साहल (9.1 गा.दि. का 35 प्रतिशत)	100 पीछा	3.20 गा.दि.	960.00
2	पीछा परचहन	100 पीछा	एल.एस.	550.00

1	प्रथम विवरण - मुख्य वन सारसक एवं वन दल प्रमुख छत्तीसगढ़ द्वारा अनुमोदित	1000	13.00	12600.00
		मैत्रा	म.दि	
2	द्वितीय विवरण - मुख्य वन सारसक एवं वन दल प्रमुख छत्तीसगढ़ द्वारा अनुमोदित	1000	10.00	9000.00
		मैत्रा	म.दि	
3	तृतीय विवरण - मुख्य वन सारसक एवं वन दल प्रमुख छत्तीसगढ़ द्वारा अनुमोदित	200	10.00	2000.00
		मैत्रा	म.दि	
4	चतुर्थ विवरण - मुख्य वन सारसक एवं वन दल प्रमुख छत्तीसगढ़ द्वारा अनुमोदित	100	20.00	1000.00
		मैत्रा	म.दि	
5	पंचम विवरण - मुख्य वन सारसक एवं वन दल प्रमुख छत्तीसगढ़ द्वारा अनुमोदित	1.5	1.5	72072.00
6	अन्य आर्थिक व्यय - अन्य मुख्य वन सारसक एवं वन दल प्रमुख छत्तीसगढ़ द्वारा अनुमोदित	1.5	1.5	10613.00
7	योग			5992.40
				126087.40

चतुर्थ वर्ष

(1 कि. मी. सड़क के दोनों किनारे)

क्र.	विवरण	मात्रा	दर	अधिकतम व्यय (रु.)
1	2	3	4	5
1	प्रथम विवरण - मुख्य वन सारसक एवं वन दल प्रमुख छत्तीसगढ़ द्वारा अनुमोदित	1000	13.00	3900.00
		मैत्रा	म.दि	
2	द्वितीय विवरण - मुख्य वन सारसक एवं वन दल प्रमुख छत्तीसगढ़ द्वारा अनुमोदित	1.5	1.5	72072.00
3	अन्य आर्थिक व्यय - अन्य मुख्य वन सारसक एवं वन दल प्रमुख छत्तीसगढ़ द्वारा अनुमोदित	1.5	1.5	6129.00
				योग :-
				82101.00

पंचम वर्ष

(1 कि. मी. सड़क के दोनों किनारे)

क्र.	विवरण	मात्रा	दर	अधिकतम व्यय (रु.)
1	2	3	4	5
1	मुख्य वन सारसक एवं वन दल प्रमुख छत्तीसगढ़ द्वारा अनुमोदित	1.5	1.5	72100.00
				योग
				72100.00

गोश्वारा

क्र.	वर्ष	अधिकतम व्यय (रु.)
1	प्रथम वर्ष	830390.60
2	द्वितीय वर्ष	177536.30
3	तृतीय वर्ष	126087.40
4	चतुर्थ वर्ष	82101.00
5	पंचम वर्ष	72100.00
	महायोग	1288215.30

(प्रधान मुख्य वन सारसक एवं वन दल प्रमुख छत्तीसगढ़ द्वारा अनुमोदित)

(ए.एच. कपरासी)

मुख्य वन सारसक (विकास/योजना)

(श्री. जितेन कुमार)

अ.प्र. मुख्य वन सारसक (विकास/योजना)